दिनांक 1. 1. 2003 के भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-II खंड 3 उपखंड(ii) में प्रकाशनार्थ

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांकः 1. 1. 2003

आदेश

क्र.सं.(ई)- केन्द्र सरकार चाय अधिनियम 1953 (1953 का 29) की धारा 30 की उपधारा (3) और उपधारा(5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और ऐसे अधिक्रमण से पहले इस संबंध में किए गए अथवा करने से रह गए कार्यों को छोड़कर चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 1984 का अधिक्रमण करके एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थातः-

1. **सक्षिप्त नाम और प्रारंभ**

(i) इस आदेश का नाम चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 है ।

(ii) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा ।

2. **परिभाषाएं**

इस आदेश में जब तक संदर्भानुसार अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "अधिनियम" से चाय अधिनियम, 1953 अभिप्रेत है;

(ख) "बोर्ड" से अधिनियम की धारा 4 के अधीन स्थापित चाय बोर्ड अभिप्रेत; है ।

(ग) "अध्यक्ष" से चाय बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष की शक्तियों का तत्समय प्रयोग करने वाला कोई व्यक्ति भी है;

(घ) "कैलेण्डर वर्ष" से उस वर्ष पहली जनवरी से प्रारंभ होकर 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाला वर्ष अभिप्रेत है ;

(ङ.) "प्ररूप" से इस आदेश से संलग्न कोई प्ररूप अभिप्रेत है;

(च) "लाइसेंस"से इस आदेश के पैरा 9 के अधीन दी गई लाइसेंस अभिप्रेत है;

(छ) "लाइसेंसधारी"से इस आदेश के अधीन दी गई लाइसेंस का धारक अभिप्रेत है;

(ज) "लाइसेंसिंग प्राधिकारी से अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(झ) "विनिर्माता" से संपदा कारखाने के मालिक, क्रीत पत्ती कारखाने और कोपरेटिव कारखाने सहित कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो वाणिज्यिक रूप से चाय के नाम से ज्ञात किसी उत्पाद का विनिर्माण करता है जिसे कैमीलिया सिनेसिस (एल) ओ कुंटजे की पत्तियों से बनाया जाता है और/अथवा जो चाय के मूल्यवर्धित उत्पादों जैसे पैकेट टी, टी बैग, इन्सटेंट टी, ग्रीन टी, फ्लेवर्ड टी और क्विक ब्रेविंग ब्लैक टी का उत्पादन करता है ;

(ञ) "चाय नीलामी का आयोजक"से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति, निगमित निकाय को आपरेटिव सोसायटी या संघ, चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या न हो, जिसके नियंत्रण या तत्वाधान के अधीन चाय की लोक नीलामियाँ होती हैं;

(ट) "रजिस्ट्री प्राधिकारी"से अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ठ) "रजिस्ट्रीकृत विनिर्माता"से इस आदेश के पैरा 3 के अधीन रजिस्ट्रीकृत विनिर्माता अभिप्रेत है;

(ड) "क्रेता"से ऐसा कोई व्यक्ति, फर्म, कंपनी, निगमित निकाय, कोआपरेटिव सोसाइटी आदि अभिप्रेत है जिसके पास भारत में चाय के व्यापार का कोई स्थान है, जो सार्वजनिक चाय नीलामियों से अथवा चाय विनिर्माताओं से सीधे चाय के मूल्यवर्धित उत्पादों सहित चाय खरीदने का कार्य करता है;

(ढ) "चाय पत्ती"से कमेलिया सिनेंसिस(एल) ओ कुंटजे की पत्ती अभिप्रेत है और इसमें कमेलिया सिनेंसिस (एल) ओ कुंटजे के पौधे के कोमल तना और कलियां शामिल हैं;

(ण) "चाय उत्पादक" से ऐसा कोई व्यक्ति, फर्म, कंपनी अथवा निगमित निकाय अथवा कोआपरेटिव सोसाइटी अभिप्रेत है जो चाय के पौधों की खेती करता हो;

(त) "बागान जिला"से किसी भिन्न भौगोलिक क्षेत्र अभिप्रेत है जहां यथा परिभाषित काफी मात्रा में चाय के पौधों की खेती की जाती है और वह टी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हो;

(थ) "क्रीत चाय पत्ती कारखाना"से कोई ऐसा चाय कारखाना अभिप्रेत है जो चाय के विनिर्माण के प्रयोजनार्थ किसी कैलेण्डर वर्ष के दौरान दूसरे चाय उपजकर्ताओं से अपनी चाय पत्ती की आवश्यकता का दो तिहाई से कम प्राप्त न करता हो;

(द) "पैकेट टी"से इकाई पैकों/अथवा इस प्रकार के कंटेनरों में पैक की हुई चाय अभिप्रेत है जो साधारणतः किसी ब्रांड के नाम के अंतर्गत परचून बिक्री के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किए जाते हैं;

(ध) "टी बैग"से गरम अथवा ठंडे पानी में ऐसे बैग को सीधा डुबोकर चाय का पानी तैयार करने के लिए फिल्टर पेंटर, नायलोन नेट और/अथवा अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों और मानकों के अनुरूप अन्य किसी स्वीकार्य सामग्री से बने बैगों और जो वाणिज्यिक रूप से चाय बैग के रूप में ज्ञात हो, में भरी हुई चाय पैकेट से है;

(न) "ग्रीन टी"से ग्रीन टी के रूप में वाणिज्यिक रूप से ज्ञात विनिर्मित चाय की किस्म अभिप्रेत है;

(प) "क्विक ब्रेविंग ब्लेक टी"से वाणिज्यिक तौर पर चाय के रूप में ज्ञात ऐसा उत्पाद अभिप्रेत है जिसमें चाय का सत्व/अथवा सान्द्रता 20% (अधिकतम) से कम न हो तथा काले रूप में विनिर्मित चाय 80% (अधिकतम) से अधिक न हो तथा गर्म अथवा ठंडे पानी में चाय का पानी तैयार करने के लिए प्रयुक्त खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अनुरूप हो;

(फ) "इन्सटेंट टी"से चाय, अपशिष्ट और चाय पत्ती के जलीय सत्व से तैयार उत्पाद से है जो वाणिज्यिक रूप से इन्सेंटट टी के नाम से जाने जाते हैं;

(ब) रजिस्ट्रीकृत क्रेता से इस आदेश के पैराग्राफ 3 के अधीन पंजीकृत कोई क्रेता अभिप्रेत है;

(भ) दलाल से लाइसेंस युक्त नीलामी प्रणालियों के जरिए चाय में दलाली के व्यवसाय में कार्यरत और इस आदेश के पैराग्राफ 7,8,10 और 11 के अंतर्गत लाइसेंस शुदा कोई व्यक्ति फर्म, कंपनी, निगमित निकाय को आपरेटिव सोसाइटी आदि अभिप्रेत है;

(म) "मेड टी"से समय-समय पर यथा संशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 (1954 का 37)अथवा उस समय के लिए लागू कोई अन्य के अधीन निर्धारित चाय की विनिर्दिष्टताओं के अनुरूप चाय अभिप्रेत है;

3. **चाय के विनिर्माता का रजिस्ट्रीकरण**

1) कोई भी विनिर्माता, अपने स्वामित्व या अपने द्वारा नियंत्रित प्रत्येक कारखाने की बाबत इस आदेश के अधीन विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किए बिना सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन के साठ दिन के बाद चाय विनिर्मित करने का क्रियाकलाप नहीं करेगा ।

बशर्ते वह विनिर्माता जिसने चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश 1984 के प्रावधान के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन पहले ही प्राप्त कर लिया हो इस आदेश के प्रावधान के अंतर्गत रजिस्टर्ड समझा जाएगा और उन्हें तदनुसार टी बोर्ड को सूचित करना चाहिए;

2) रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए वांछा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति रजिस्ट्री प्राधिकारी को प्ररूप'क'में आवेदन करेगा ।

3) रजिस्ट्री प्राधिकारी, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, किसी आवेदक को रजिस्ट्रीकरण देने से इन्कार कर सकेगा और इस प्रकार पारित आदेश की प्रति उसे देगा ।

बशर्ते मनाही का ऐसा आदेश पारित करने से पहले आवेदक को सुनवाई का भी एक अवसर प्रदान किया जाएगा ।

4) जहां रजिस्ट्रीकरण के आवेदन को उप-पैरा 3 के अधीन नामंजूर नहीं किया जाता है वहां रजिस्ट्री प्राधिकारी आवेदक को आवेदन प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह कार्य दिवसों के भीतर प्ररूप'ख'में रजिस्ट्रीकरण का एक प्रमाणपत्र देगा ।

4. चाय के क्रेता का रजिस्ट्रीकरण- (1) कोई भी व्यक्ति इस आदेश के अंतर्गत प्राप्त विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण के अतिरिक्त टी बोर्ड द्वारा लाइसेंसशुदा किसी सार्वजनिक चाय नीलामी से अथवा चाय के विनिर्माता से सीधे सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन के साठ दिन के बाद चाय की खरीद का कोई कार्यकलाप नहीं करेगा ।

(2) रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने का इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति प्ररूप'ग'में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को आवेदन करेगा ।

(3) रजिस्ट्री प्राधिकारी अपने द्वारा लिखित कारणों की वजह से किसी आवेदक को रजिस्ट्रीकरण देने से इनकार कर सकेगा और इस प्रकार पारित आदेश की प्रति उसे देगा ।

बशर्ते मनाही का ऐसा आदेश पारित करने से पहले आवेदक को सुनवाई का भी एक अवसर प्रदान किया जाएगा ।

(4) जहां रजिस्ट्रीकरण के आवेदन को उप पैरा 3 के अधीन नामंजूर नहीं किया जाता है वहां रजिस्ट्री प्राधिकारी आवेदक को आवेदन की प्राप्ति से 15 कार्य दिवसों के भीतर प्ररूप 'ख' में रजिस्ट्रीकरण का एक प्रमाणपत्र देगा ।

5. विनिर्माता/क्रेता के रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण/निलंबन-(1) रजिस्ट्री प्राधिकारी विनिर्माता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात निम्नलिखित एक अथवा अधिक आधारों पर रजिस्ट्रीकरण को रद्द अथवा निलंबित कर सकता है, अर्थातः-

(क) विनिर्माता द्वारा कारबार बन्द कर दिए जाने पर;

(ख) विनिर्माता द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करते समय या बाद में किसी तथ्य का दुर्व्यपदेशन करने पर;

(ग) विनिर्माता द्वारा अधिनियम अथवा इस आदेश के किसी उपबंध का उल्लघंन किए जाने पर;

(घ) रजिस्ट्री प्राधिकारी द्वारा जारी किसी निर्देश का पालन करने में विफल रहने पर;

(ड.) यदि रजिस्ट्री प्राधिकारी के पास उचित जांच करने के पश्चात यह विश्वास करने का कारण है कि विनिर्माता चाय में चाय अपशिष्ट और/अथवा अन्य कोई गैर अनुमत बाहरी पदार्थ का अपमिश्रण कर रहा है और चाय खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 अथवा उस समय लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत निर्धारित विनिर्दिष्टताओं के अनुरूप नहीं है ।

(च) यदि रजिस्ट्री प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कारखाना भवन, मशीने अथवा उपकरण अथवा किसी चाय कारखाने के प्रचालन का तरीका समय समय पर लागू मानदंडों और मानकों के अनुरूप मेड टी के विनिर्माण के अनुकूल मानक और क्षमता का नहीं है ।

(2) रजिस्ट्रीकरण के निलंबन/रद्दकरण का प्रत्येक आदेश लिखित में होगा और उसमें ऐसे निलंबन/रददकरण के कारण विनिर्दिष्ट होंगे और इसे रजिस्टर्ड विनिर्माता को तुरंत अथवा ऐसा आदेश पारित करने के 7 कार्य दिवसों के भीतर भेजा जाएगा ।

(6) क्रेता के रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण/निलंबन-(1) रजिस्ट्री प्राधिकारी क्रेता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात निम्नलिखित एक अथवा अधिक आधारों पर रजिस्ट्रीकरण को रद्द अथवा निलंबित कर सकता है, अर्थात

(क) विनिर्माता द्वारा कारबार बन्द कर दिए जाने पर;

(ख) विनिर्माता द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करते समय या बाद में किसी तथ्य का दुर्व्यपदेशन करने पर;

(ग) विनिर्माता द्वारा अधिनियम अथवा इस आदेश के किसी उपबंध का उल्लघंन किए जाने पर;

(घ) रजिस्ट्री प्राधिकारी द्वारा जारी किसी निर्देश का पालन करने में विफल रहने पर;

(ङ.) यदि रजिस्ट्री प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि क्रेता ऐसे अनुचित व्यापार कार्यों में अंतर्ग्रस्त है जिनसे सार्वजनिक चाय नीलामी प्रणाली सहित विपणन प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है ।

(2) रजिस्ट्रीकरण को निलंबित/रद्द करने वाला प्रत्येक आदेश लिखित में होगा और उसमें निलंबन/रद्दकरण के लिए कारण विनिर्दिष्ट किए जाएंगे तथा रजिस्टर्ड क्रेता को तुरंत अथवा ऐसा आदेश पारित करने के 7 कार्य दिवसों के भीतर भेजा जाएगा ।

7 मासिक विवरणियां-(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत विनिर्माता रजिस्ट्री प्राधिकारी को प्रारूप ङ. में एक मासिक विवरणी और ऐसी अन्य जानकारी देगा जो रजिस्ट्री प्राधिकारी, विशेष या साधारण आदेश द्वारा समय समय पर मांगे ।

(2) प्रत्येक रजिस्टर्ड क्रेता रजिस्ट्री प्राधिकारी को प्रारूप च में मासिक विवरणियां और अन्य सूचना भेजेगा जिसे रजिस्ट्री प्राधिकारी द्वारा विशेष अथवा सामान्य आदेश द्वारा समय समय पर मांगा जाए ।

8 रिकार्डों का रख रखाव- (1) प्रत्येक रजिस्टर्ड विनिर्माता जो अन्य उपज कर्ताओं से चाय पत्ती खरीदने का कार्य करता हो रजिस्ट्री प्राधिकारी द्वारा समय समय पर निर्धारित रिकार्ड रखेगा और रजिस्ट्री प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारों को ऐसी सभी सूचना प्रस्तुत करेगा जो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समय समय पर विशेष अथवा सामान्य आदेश द्वारा मांगी जाए ।

(2) प्रत्येक लाइसेंस शुदा दलाल/नीलामी का आयोजन लाइसेंस प्राधिकारी को यथा विनिर्दिष्ट तरीके से कोई विवरणी अथवा अन्य ऐसी सूचना प्रस्तुत करेगा जो लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय समय पर विशेष अथवा सामान्य आदेश द्वारा मांगी जाए ।

9 चाय नीलामी के आयोजक द्वारा लाइसेंस प्राप्त करना- चाय नीलामी का कोई आयोजक इस आदेश के उपबंधों के अनुसार लाइसेंस प्राप्त किए बगैर अपने नियंत्रण अथवा तत्वाधान में सार्वजनिक चाय नीलामियों के व्यवसाय का आयोजन प्रबंधन अथवा संचालन नहीं करेगा ।

बशर्ते नीलामी के ऐसे आयोजक को इस आदेश के उपबंधों के अंतर्गत लाइसेंस शुदा समझा जाएगा जिसने चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 1984 के उपबंधों के अंतर्गत पहले ही लाइसेंस प्राप्त कर लिया हो और वे टी बोर्ड को तदनुसार सूचित करेंगे ।

10 चाय नीलामी के दलाल द्वारा लाइसेंस प्राप्त करना- कोई व्यक्ति इस आदेश के प्रावधानों के अनुसार लाइसेंस प्राप्त किए बगैर सार्वजनिक चाय नीलामियों में चाय के दलाल का व्यवसाय नहीं करेगा ।

बशर्ते जिस दलाल ने चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश 1984 के प्रावधानों के अंतर्गत पहले ही लाइसेंस प्राप्त कर लिया हो, उसे इस आदेश के प्रावधानों के अंतर्गत लाइसेंस शुदा समझा जाएगा और वे टी बोर्ड को तदनुसार सूचित करेंगे ।

11. लाइसेंस के लिए आवेदन- पैराग्राफ 9 और 10 में उल्लिखित लाइसेंस के लिए प्रत्येक आवेदन लाइसेंस प्राधिकारी को प्रारूप घ में प्रस्तुत किया जाएगा ।

12. लाइसेंस का दिया जाना या नामंजूर किया जाना-(1) लाइसेंस अधिकारी लिखित कारणोंवश किसी आवेदक को लाइसेंस जारी करने से इनकार कर सकेगा और ऐसे पारित आदेश की प्रति उसे देगा ।

बशर्ते नामंजूरी का आदेश पारित करने से पहले आवेदक को सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया जाएगा ।

(2) जहां लाइसेंस के आवेदन को पैराग्राफ 12(1) के अधीन नामंजूर नहीं किया जाता है वहां लाइसेंस प्राधिकारी प्ररूप (ज) में उसे लाइसेंस जारी करेगा ।

(3) सार्वजनिक चाय नीलामी के आयोजक के कारबार के लाइसेंस के लिए प्रत्येक आवेदक लाइसेंस के अपने आवेदन के साथ लाइसेंस प्राधिकारी को निम्नलिखित सामग्री प्रस्तुत करेगाः-

(i) आयोजक के क्रियाकालापों/कार्यों को शासित करने वाले नियम (चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों)

(ii) अपनी प्रबंध समिति के सदस्यों के नाम और पते (चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों)

(iii) ऐसी प्रबंध समितियों के निर्णयों को अधिप्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम पदनाम और पते,

(iv) इसके नियंत्रण अथवा तत्वाधान में आयोजित ऐसी सार्वजनिक चाय नीलामियों के संचालन को शासित करने वाले नीलामी नियम (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों)

(v) ऐसी सार्वजनिक चाय नीलामियों के साथ सहबद्ध दलालों के नाम और पते, और

(vi) ऐसे अन्य विवरण जो लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय समय पर मांगे जाएं ।

13. निर्देश जारी करना-(1) लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस की विधिमान्य अवधि के दौरान किसी समय चाय नीलामियों के आयोजकों/दलालों को व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से निर्देश जारी कर सकता है ।

(क) यदि लाइसेंस प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि चाय नीलामियों का आयोजक अपने नियंत्रण या तत्वाधान के अधीन हुई सार्वजनिक चाय नीलामी के संचालन में या उसके संबंध में कदाचारों में लिप्त है अथवा उनमें लिप्त होने की संभावना हैं, अथवा

(ख) सार्वजनिक चाय नीलामी पद्धति की कार्य क्षमता में सुधार करने के लिए; अथवा

(ग) देश के विभिन्न भागों में हुई सार्वजनिक चाय नीलामियों की प्रक्रिया में एक-रूपता लाने के लिए;

और ऐसे निर्देशों की प्राप्ति पर चाय नीलामी का प्रत्येक आयोजक उनकी प्राप्ति की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर निर्देशों को कार्यान्वित करेगी ।

(2) लाइसेंस शुदा आयोजक के नियमों और विनियमों में दिए गए किसी प्रावधान के होते हुए भी लाइसेंस प्राधिकारी समय समय पर जारी निर्देशों से ऐसे नियमों और विनियमों का तुरंत अथवा यथा विनिर्दिष्ट समय के भीतर अधिक्रमण हो जाएगा ।

(3) रजिस्ट्री प्राधिकारी इस आदेश के उद्देश्यों का कार्यान्वयन करने के प्रयोजनार्थ सुसंगत व्यवसाय से संबंधित किसी मामले के संबंध में रजिस्टर्ड विनिर्माताओं, रजिस्टर्ड क्रेताओं को समय समय पर व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से निर्देश जारी कर सकता है और ऐसे निर्देश प्राप्त होने पर प्रत्येक रजिस्टर्ड विनिर्माता/रजिस्टर्ड क्रेता रजिस्ट्री प्राधिकारी द्वारा समय समय पर यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्देशों का क्रियान्वयन करेगी ।

14. लाइसेंस की विधिमान्यता की अवधि इस आदेश के अधीन जारी किया गया लाइसेंस यदि पहले रद्द न कर दिया गया हो तो कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर के दिन समाप्त होगा ।

15. लाइसेंस का नवीकरण-(1) नीलामियों के दलाल अथवा आयोजक द्वारा इसके नवीकरण का प्रत्येक आवेदन लाइसेंस प्राधिकारी को प्ररूप'झ'में प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) लाइसेंस प्राधिकारी उसे दिए गए आवेदन के बाद और इस आदेश के अन्य उपबंधों के अध्यधीन लाइसेंस का नवीकरण करेगा और प्ररूप'ञ'मे एक प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(3) लाइसेंस के नवीकरण का प्रत्येक आवेदन ऐसे मामलों को छोड़कर जहां लाइसेंस उस कैलेण्डर वर्ष की एक दिसम्बर की तारीख को या उसके बाद जारी किया गया हो, लाइसेंस प्राधिकारी को लाइसेंस की समाप्ति की तारीख से पहले ऐसी अवधि में प्रस्तुत किया जाएगा जो तीस दिन से कम न हो ।

16. लाइसेंस पर हस्ताक्षर किया जाना/रजिस्ट्रीकरण इस आदेश के अधीन जारी अथवा नवीकृत प्रत्येक लाइसेंस और रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रदान किया गया प्रत्येक प्रमाणपत्र यथास्थिति लाइसेंस प्राधिकारी अथवा रजिस्ट्री प्राधिकारी अथवा लाइसेंस प्राधिकारी/रजिस्ट्री प्राधिकारी द्वारा यह कार्य करने के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत बोर्ड के किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

17. फीस- प्रत्येक आवेदक लाइसेंस जारी करने/उसके रजिस्ट्रीकरण अथवा नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ नीचे विनिर्दिष्ट फीस भेजेगा:-

लाइसेंस जारी करने के लिए -	5000/-
रजिस्ट्रीकरण के लिए -	5000/-
लाइसेंस के नवीकरण के लिए	1000/-

18. लाइसेंस की शर्तें-(1) इस आदेश के अधीन जारी की गई या नवीकरण किए गए प्रत्येक लाइसेंस के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे उसमें नामित व्यक्ति के पक्ष में दिया गया है या नवीकरण किया गया है और किसी भी लाइसेंस का विक्रय या उसका अन्यथा अंतरण नहीं किया जाएगा ।

(2) यदि कोई लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस के अंतर्गत आने वाले कारबार के संबंध में कोई भागीदारी करता है तो वह इस बात को लाइसेंस प्राधिकारी की जानकारी में ऐसी भागीदारी करने के पंद्रह दिन के भीतर लाएगा और लाइसेंस को उपर्युक्त रूप से संशोधित करवाएगा ।

(3) जहां कोई भागीदारी की गई है वहां फर्म के सभी भागीदार और मूल लाइसेंसधारी लाइसेंस की शर्तों द्वारा आबद्ध होंगे ।

(4) यदि कोई भागीदारी विघटित हो गई है तो प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो ऐसे विघटन की तारीख के ठीक पहले भागीदारी है, ऐसे विघटन की रिपोर्ट लाइसेंस प्राधिकारी को उसके पंद्रह दिन के भीतर भेजेगा ।

(5) प्रत्येक लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत बार्ड के किसी अधिकारी द्वारा मांग करने पर निरीक्षण के लिए अपनी लाइसेंस पेश करेगा ।

(6) यदि लाइसेंस के चालू रहने के दौरान लाइसेंसधारी कोई ऐसी कार्यवाही करने का आशय रखता है जो आवेदन में की गई ऐसी विशिष्टियों में उपान्तरण के लिए अपेक्षा करती है जिनके आधार पर इस समय प्रवृत लाइसेंस जारी किया गया है तो वह उसे लाइसेंस प्राधिकारी की जानकारी में कम से कम पंद्रह दिन पहले लाएगा और अपने लाइसेंस को उपर्युक्त रूप से संशोधित करवाएगा तथा लाइसेंस में ऐसा संशोधन निःशुल्क किया जाएगा और संशोधित लाइसेंस, लाइसेंस के अंतर्गत आने वाली शेष अवधि के लिए विधिमान्य रहेगा ।

(7) चाय भांडागारण (लाइसेंस) आदेश 1989 के अधीन लाइसेंस किसी भांडागार का कोई भी स्वामी निम्नलिखित के साथ कोई संव्यवहार नहीं करेगा-

(क) ऐसे विनिर्माता/क्रेता के साथ जो इस आदेश के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित है किन्तु उसे इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है या जिसका रजिस्ट्रीकरण विधिमान्य नहीं रह गया है, या

(ख) किसी सार्वजनिक चाय नीलामी के किसी ऐसे दलाल या आयोजक के साथ जिसे इस आदेश के अधीन लाइसेंस प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है किन्तु उसने ऐसा नहीं किया है, या जिसका लाइसेंस विधिमान्य नहीं रह गया है ।

(8) कोई भी दलाल किसी ऐसे विनिर्माता/क्रेता के साथ जो इस आदेश के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित है, किन्तु वह इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं है, या जिसका रजिस्ट्रीकरण विधिमान्य नहीं रह गया है, चाय में कोई संव्यवहार नहीं करेगा ।

(9) कोई भी दलाल चाय नीलामी के किसी ऐसे आयोजक द्वारा, जिसके इस आदेश के उपबंधों के अधीन लाइसेंस प्राप्त किए जाने की अपेक्षा की जाती है किन्तु उसने ऐसा लाइसेंस प्राप्त नहीं किया है या जिसका लाइसेंस विधिमान्य नहीं रह गया है, संचालित या उसके नियंत्रण या तत्वावधान के अधीन हुई किसी सार्वजनिक चाय नीलामी में भाग नहीं लेगा ।

(10) सार्वजनिक चाय नीलामी का कोई भी आयोजक, अपने नियंत्रण या तत्वावधान के अधीन हुई सार्वजनिक चाय नीलामी में किसी अरजिस्ट्रीकृत विनिर्माता से चाय रखने के लिए लाइसेंस नहीं करेगा या किसी गैर लाइसेंस धारक अनरजिस्टर्ड क्रेता को अपने नियंत्रण या तत्वावधान के अधीन हुई सार्वजनिक नीलामियों का कारबार नहीं करने देगा ।

19. लाइसेंस को रद्द करना/निलंबन-(1) लाइसेंस प्राधिकारी किसी लाइसेंसधारी (चाय नीलामी के आयोजक/दलाल) को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात निम्नलिखित आधारों में से किसी एक अथवा अधिक पर लाइसेंस को रद्द अथवा निलंबित कर सकेगा, अथवा जुर्माना, जो एक लाख रूपए से अधिक नहीं होगा, लगा सकेगा, अर्थात्-

(क) दलाल द्वारा व्यवसाय को बंद करना;

(ख) नीलामी आयोजनों द्वारा कोई नीलामी बिक्री करने की जानबूझकर मनाही करना;

(ग) लाइसेंस प्राप्त करते समय अथवा इसके पश्चात आवेदक द्वारा किसी तात्त्विक तथ्य का मिथ्या निरूपणं करना;

(घ) इस अधिनियम अथवा इस आदेश के किसी उपबंध का लाइसेंस धारी द्वारा उल्लंघन करना;

(ड.) लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित समयावधि के भीतर नीलामी आयोजित करने के लिए नियमों के संबंध में लाइसेंस प्राधिकारी के निर्देशों का पालन करने में विफलता ;

(च) सदस्यता, शासकीय निकाय के गठन, शासकीय निकाय के सदस्यों का चुनाव, वोटिंग प्रक्रिया और सदस्यों के वोटिंग अधिकारों, वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों इत्यादि के संबंध में नीलामी आयोजकों, नियमों और विनियमों के संबंध में लाइसेंस प्राधिकारी के निर्देशों का पालन करने में विफलता;

(छ) यदि लाइसेंस प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी ब्रोकिंग फर्म का भवन अथवा उपकरण अथवा प्रचालन का तरीका लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा उल्लिखित दिशानिर्देशों/मानदंडों के अनुकूल मानकों के अनुसार नहीं है ।

(2) किसी लाइसेंस को निलंबित/रद्द करने वाला प्रत्येक आदेश लिखित में होगा और उसमें ऐसे निलंबन/रद्द करने के कारण निर्दिष्ट होंगे तथा ऐसे आदेश के पारित होने के तुरंत अथवा सात कार्य दिवसों के भीतर लाइसेंसधारी को सूचित किया जाएगा ।

20. लाइसेंसधारी द्वारा लेखाओं को बनाए रखा जाना, प्रस्तुत करना आदि- रजिस्ट्री प्राधिकारी/ लाइसेंस प्राधिकारी निम्नलिखित के संबंध में समय समय पर किसी रजिस्ट्रीकृत विनिर्माता, रजिस्ट्रीकृत क्रेता, चाय नीलामियों के अनुज्ञप्त आयोजक, दलाल को निदेश जारी कर सकेगा-

(क) उत्पादन क्रय/बिक्री, स्टाक निर्यात या उसके कारोबार से संबंधित ऐसी अन्य बातों के जो इस आदेश के उद्देश्य को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए सुसंगत हों,अभिलेखों को बनाए रखने के संबंध में;

(ख) ऐसे प्ररूप तथा रीति के संबंध में जिसमें ऐसे अभिलेख बनाए रखे जाएंगे; और

(ग) उसके कारबार से संबंधित ऐसी लेखा-बहियों का जो निदेश में विनिर्दिष्ट हों, संबंधित अधिकारी के समक्ष निरीक्षण के लिए पेश करने के संबंध में ।

21. सार्वजनिक नीलामियों के मार्फत चाय का विक्रय-(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत विनिर्माता, जैसा कि रजिस्ट्री प्राधिकारी के दिशानिर्देश द्वारा विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के प्रारंभ की तारीख से और एक केलेण्डर वर्ष अथवा ऐसी अवधि में अपने द्वारा विनिर्मित चाय का ऐसा प्रतिशत जो समय समय पर निर्दिष्ट किया जाए, चाय नीलामी के ऐसे आयोजनों के जो इस आदेश के उपबंधों के अधीन ऐसा करने के लिए अनुज्ञप्त किए गए हैं, नियंत्रण या तत्वाधान के अधीन हुई भारत में सार्वजनिक चाय नीलामियों की मार्फत विक्रय करेगा;

बशर्ते कि ऐसे प्रतिशत को केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से रजिस्ट्री प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है;

परंतु रजिस्ट्री प्राधिकारी किसी रजिस्ट्रीकृत विनिर्माता द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी आवेदन पर यदि उसका समाधान हो जाता है कि इस आदेश के किसी उपबंध का पालन करने से किसी विनिर्माता को असम्यक कठिनाई होगी उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इस आदेश के किसी उपबंध को शिथिल कर सकेगा ।

(2) विनिर्माता द्वारा - निम्न के रूप में प्रत्यक्ष रूप से विपणन की गई किसी चायः-

(क) पैकेट चाय

(ख) इन्सटैंट चाय

(ग) टी बैग्स

(घ) एरोमेटिक चाय

(ड.) ग्रीन चाय और

(च) विदेशों में नीलामियों के जरिए बेची गई चाय को छोड़कर विनिर्माओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्यातित चाय

(छ) क्विक ब्रूइंग ब्लैक चाय

(ज) आर्गेनिक चाय

को इस आदेश के इस पैरा ग्राफ के प्रयोजनार्थ कुल उत्पादन की गणना करते समय छोड़ दिया जाएगा ।

22. क्रेता द्वारा चाय की खरीद-(1)प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत क्रेता इस आदेश के प्रारंभ की तारीख को अथवा उससे चाय की उसकी सकल खरीद का ऐसे प्रतिशत, जिसे किसी केलेण्डर वर्ष में रजिस्ट्री प्राधिकारी द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट किया जाए भारत मे सार्वजनिक चाय नीलामियों के मार्फत खरीद करेगा ।

बशर्तें कि ऐसे प्रतिशत को केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से रजिस्ट्री प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो;

परंतु रजिस्ट्री प्राधिकारी किसी रजिस्ट्रीकृत क्रेता द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी आवेदन पर यदि उसका समाधान हो जाता है कि इस आदेश के किसी उपबंध का पालन करने से किसी क्रेता को असम्यक कठिनाई होगी, उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इस आदेश के किसी उपबंध को शिथिल कर सकेगा ।

(क) पैकेट चाय

(ख) इन्सटैंट चाय

(ग) टी बैग्स

(घ) एरोमेटिक चाय

(ङ.) ग्रीन चाय

(च) क्विक ब्रूइंग ब्लैक चाय और

(छ) आर्गेनिक चाय

को इस आदेश के इस पैरा ग्राफ के प्रयोजनार्थ कुल उत्पादन की गणना करते समय छोड़ दिया जाएगा ।

23. सार्वजनिक नीलामी से बाहर चाय की बिक्री:- प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत विनिर्माता जो नीलामी पद्धति के बाहर चाय की बिक्री करते हैं केवल रजिस्ट्रीकृत क्रेताओं को ही ऐसा कर सकते हैं और ऐसे सौदों के ब्यौरे की सूचना रजिस्ट्री प्राधिकारी को बिक्री होने के 15 कार्य दिवसों के भीतर देनी होगी ।

24. अपील- कोई ऐसा व्यक्ति जो-

(क) रजिस्ट्रीकरण के किए जाने से इन्कार करने या उसे रद्द/निलंबित करने वाले

(ख) लाइसेंस के जारी करने या नवीकरण करने से इंकार करने वाले; या

(ग) लाइसेंस को रद्द/निलंबित करने वाले अथवा जुर्माना लगाने वाले किसी आदेश से व्यथित है ।

ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकेगा और केन्द्रीय सरकार ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह ठीक समझे ऐसे आदेश को पुष्ट कर सकेगी परिवर्तित कर सकेगी या उपान्तरित कर सकेगी ।

25. चाय विपणन संबंधी समिति का गठन- केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस आदेश के कार्यान्वयन से संबंधित विषयों पर सरकार को सलाह देने के लिए एक समिति का गठन कर सकेगी और इससे संबंधित किसी प्रश्न को समिति की सलाह के लिए समय समय पर निर्दिष्ट कर सकेगी ।

26. आदेशों और निदेशों की तामील:- इस आदेश के अधीन रजिस्ट्री प्राधिकारी या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश या निदेश को या तो सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा अथवा व्यक्ति/कंपनी अथवा अन्य किसी सत्ता अर्थात् चाय नीलामी के आयोजक, चाय दलाल,चाय विनिर्माता, चाय क्रेता आदि को तामील किया जाएगा ।

(2) यदि कोई आदेश अथवा निर्देश किसी व्यक्ति/कंपनी अथवा किसी अन्य सत्ता को तामील किया जाता है तो इसे उस व्यक्ति/कंपनी अथवा अन्य किसी सत्ता को वितरित करके अथवा देकर किया जाएगा

(3) यदि इसे इस प्रकार वितरित अथवा दिया नहीं जा सकता है तो इसे उस परिसर के बाहरी दरवाजे पर अथवा अन्य सुस्पष्ट हिस्से पर चिपका दिया जाएगा जिसमे वह व्यक्ति/कंपनी अथवा अन्य कोई सत्ता रहते हैं अथवा व्यवसाय करते हैं अथवा लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं और इसकी लिखित रिपोर्ट तैयार की जाएगी तथा पड़ौस में रहने वाले कम से कम दो व्यक्तियों की इस पर गवाही होगी ।

27. प्रवेश आदि की शक्ति-(1) रजिस्ट्री प्राधिकारी लाइसेंस प्राधिकारी या प्राधिकारी द्वारा इस निमित निविर्दिष्ट रूप से लिखित में प्राधिकृत बोर्ड का कोई अधिकारी किसी भी समय किसी ऐसी किसी भूमि भवन परिसर या यानों में जिनमें रजिस्ट्री प्राधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस आदेश के उपबंधों के उल्लंघन में चाय का भंडारकरण किया जाता है, उसे ले जाया जाता है, उसे वितरित किया जाता है या उसका विक्रय किया जाता है, प्रवेश कर सकेगा और उनकी तलाशी ले सकेगा तथा किसी ऐसी चाय या चाय के उत्पाद को जिसके बारे में उसे यह प्रतीत होता है कि उसका इस आदेश के उपबंधों के उल्लंघन में भंडारकरण किया गया है उसे ले जाया गया है, उसे वितरित किया गया है या उसका विक्रय किया गया है, अभिग्रहण कर सकेगी ।

(2) इस खड के अधीन कार्रवाई करने वाला कोई अधिकारी एक रिपोर्ट यथास्थिति रजिस्ट्री प्राधिकारी या लाइसेंस प्राधिकारी को ऐसी कार्रवाई करने के चौबीस घंटे के भीतर प्रस्तुत करेगा ।

(3) तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1973 का 2) के उपबंध जहां तक हो सके इस आदेश के अधीन की गई प्रत्येक तलाशी या अभिग्रहण को लागू होंगे ।

28. विनिर्माताओं/क्रेताओं द्वारा चाय के मानक का अनुपालन करना-(1) कोई भी विनिर्माता ऐसी चाय का विनिर्माण नहीं करेगा जो समय समय पर यथा संशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 अथवा उस समय के लिए लागू अन्य नियमों के अंतर्गत यथा निर्धारित विनिर्दिष्टताओं के अनुरूप न हों ।

(2) कोई क्रेता ऐसी चाय को नहीं खरीदेगा और/अथवा नहीं बेचेगा जो समय समय पर यथा संशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 अथवा उस समय के लिए लागू अन्य नियमों के अंतर्गत यथा निर्धारित विनिर्दिष्ट लाभों के अनुरूप न हो ।

29. नमूने लेना- लाइसेंस प्राधिकारी/रजिस्ट्री प्राधिकारी नमूना लेने के लिए बोर्ड के किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकता है जो कार्यकारी निदेशक के स्तर से कम का नहीं होगा और नमूने के तीन सैट लिए जाएंगे जिनमें प्रत्येक का भार 125 ग्राम से अधिक का नहीं होगा तथा इन नमूनों को विधिवत सील किया जाएगा तथा उक्त अधिकारी और संबंधित मालिक के प्रतिनिधियों तथा दो अन्य गवाहों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और ये जांच करने के लिए कि क्या नमूने समय समय पर यथा संशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 तथा उस समय के लिए लागू किन्हीं अन्य नियमों के अंतर्गत यथा निर्धारित विनिर्दिष्टताओं के अनुरूप हैं या नहीं, विनिर्माता/क्रेता द्वारा रखे गए किसी भंडार से प्राप्त किए जाएंगे ।

30. उचित मूल्य का निर्धारण और इसका अनुपालन-(1) जब भी आवश्यक समझा जाए रजिस्ट्री प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट रूप से अधिकार प्राप्त कोई अधिकारी आवधिक आधार पर चाय उपजकर्ताओं को देय चाय पत्ती के उचित मूल्य का निर्धारण करेगी ।

(2) चाय पत्ती के लिए उचित मूल्य का निर्धारण समय समय पर रजिस्ट्री प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट सूची के अनुसार किया जाएगा और रजिस्ट्री प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा

(3) रजिस्ट्री प्राधिकारी किसी दलाल,जिसके जरिए किसी विनिर्माता ने कोई मेड टी बेची है,को रजिस्ट्री प्राधिकारी अथवा रजिस्ट्री प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा यथा निर्धारित चाय पत्ती के उचित मूल्य और ऐसे विनिर्माता द्वारा खरीदी गई चाय पत्ती के लिए उसके द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक मूल्य के बीच के अंतर के समान राशि को ऐसी बिक्री की प्राप्तियों से कम करने के निर्देश दे सकता है ।

(4) रजिस्ट्री प्राधिकारी किसी दलाल, जिसके जरिए विनिर्माता ने मेड टी बेची है और चाय पत्ती के लिए उचित मूल्य के भुगतान में विलंब किया है, को ऐसी बिक्री की प्राप्तियों से ऐसी चाय पत्ती के लिए रजिस्ट्री प्राधिकारी अथवा रजिस्ट्री प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निर्धारित उचित मूल्य के समान राशि कम करने के निर्देश दे सकता है ।

(5) रजिस्ट्री प्राधिकारी किसी दलाल को रजिस्ट्री प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट तरीके और व्यक्ति को इस आदेश के इस पैराग्राफ के उप पैरा ग्राफों (3) और (4) के अंतर्गत इस प्रकार कम की गई राशि जमा करने के निर्देश दे सकता है ।

(6) इस आदेश के इस पैराग्राफ के उप पैराग्राफ (1)और(2) मे उल्लिखित सूची के आधार पर चाय पत्ती के लिए उचित मूल्य निर्धारण के लिए रजिस्ट्री प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से अधिकार प्राप्त अधिकारी इस आदेश के इस पैरा ग्राफ के उप पैरा ग्राफ (3), (4) और(5) के अनुसार चाय पत्ती के लिए उचित मूल्य के भुगतान के अनुपालन को भी सुनिश्चित करेगा ।

31 रजिस्ट्री/लाइसेंस प्राधिकारी की शक्तियों का प्रत्यायोजन रजिस्ट्री/लाइसेंस प्राधिकारी केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से विशेष आदेश द्वारा अपना कोई कार्य टी बोर्ड के किसी एक अथवा अधिक अधिकारियों को प्रत्यायोजित कर सकता है ।

फा.सं.टी-12014/1/2002-बागान-क

एल. वी. सप्तऋषि

(एल. वी. सप्तऋषि)

अपर सचिव

प्ररुप 'क'

(पैरा 3 (2) देखिए)

चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश 2003 के पैरा 3 (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

मूल/दूसरी प्रति

सेवामें

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी,
चाय बोर्ड, कलकत्ता।

महोदय,

मैं/हम चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के प्रयोजनों के लिए चाय के विनिर्माता के रुप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं।

आवश्यक विशिष्टियां निम्नलिखित प्रकार से हैं:-

(क) आवेदन का नाम
(स्पष्ट अक्षरों में)
भागीदारी समुत्थान की दशा में सभी
भागीदारों के नाम दिये जाने चाहिएं):

(ख) पूरा पता (जिस पर पत्र व्यवहार किया
जा सकता है)

(ग) विनिर्माण एककों के नाम और पते

(घ) राज्य और बागान जिला:

(ङ) क्या एकक अपने बागानों में उगाई गयी
चाय का प्रसंस्करण करता है:

(च) क्या एकक क्रीत पती कारखाना या
सहकारी एकक है जिसकी अपनी कोई
सम्पदा नहीं है।

(छ) वार्षिक उत्पादन क्षमताः

(ज) यदि राज्य सरकार ने कारखाने
के रुप में रजिस्ट्रीकरण किया है
तो रजिस्ट्रीकरण संख्यांक और तारीखः

(ञ) विनिर्मित की गयी चाय के प्रकार
का उललेख करें।

(क) पैकेट चाय

(ख) चाय बैग

(ग) इन्सटेंट चाय

(

(ङ) क्विक ब्रीविंग ब्लैक चाय

(च) कोई अन्य चाय

भवदीय

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थानः

तारीखः

प्ररुप 'ख'

(पैरा 3 (4) देखिए)

चाय विनिर्माता के रुप में कारोबार करने के लिए रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र

अहस्तांतरणीय

चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के पैरा 3(4) के अधीन जारी किया गया।

14 लिपलणी जैलयय महाराज सारती
कोलकत्ता-700 001
तारीख.........................

राजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्याक..................

श्री/सर्वश्री .... को चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के उपबंधों के अधीन पैकेट चाय/चाय के बैग/इंस्टैट चाय/क्विक ब्रीइंग ब्लैक चाय के विनिर्माता के रुप में कारोबार करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

यह प्रमाण पत्र तब तक विधि मान्य रहेगा जब तक वह चाय (विपणन; नियंत्रण आदेश, 2003 के पैरा 4 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा दद्द नहीं कर दिया जाता।

अध्यक्ष
चाय बोर्ड
रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी

प्ररुप 'ग'

सेवामें,

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी

चाय बोर्ड, कलकत्ता

महोदय,

मैं/हम चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के पैराग्राफ 3 क(2) के अधीन चाय के क्रेता के रुप में रजिस्ट्रेशपन के लिए आवदेन करता हूं।

आवश्यक विशिष्टयां निम्न प्रकार से है:-

(1) आवेदक का नाम(स्पष्ट अक्षरों में), भागीदारी समुल्यान की दशा में सभी भागीदारों के नाम दिए जाने चाहिए)

(2) रजिस्टर्ड कार्यालय का पता

(3) शाखा कार्यालयों के पते

(4) टेलीफोन/फैक्स/ई-मेल सहित
डाक का पता

(5) केन्द्रीय और राज्य बिक्री कर
रजिस्ट्रेशन नं.

(6) क्या किसी नीलामी अर्गनाइजर के सदस्य हैं

(7) चाय के प्रकार का उल्लेख करें

(क) बल्क में चाय

(ख) पैकेट चाय

(ग) चाय बैग

(घ) इन्सटेंट चाय

(ड.) क्विक ब्रिइंग ब्लैक चाय

(च) कोई अन्य चाय

मैंने/हमने चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया और समझ लिया है और उक्त आदेश के उपबंधों का पालन करने के लिए सहमत हैं।

भवदीय

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थानः

तारीखः

प्ररुप 'घ'

चाय के क्रेता के रुप में कारोबार करने के लिए रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र

अहस्तांतरणीय

चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के पैरा (4) के अधीन जारी किया गया।

14 लिपलणी जैलयय महाराज रारती
कोलकत्ता–700 001
तारीख.......................

राजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्याक.................

श्री/सर्वश्री .... निवासी......... ....को चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के उपबंधों के अधीन बल्क में चाय/पैकेट चाय/चाय के बैग/इंस्टैंट चाय/क्विक ब्रीइंग ब्लैक चाय/कोई अन्य चाय को क्रेता के रुप में कारोबार करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

यह प्रमाण पत्र तब तक विधि मान्य रहेगा जब तक वह चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के पैरा 6 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता।

अध्यक्ष
चाय बोर्ड
रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी

प्रारुप 'ङ' (पैरा 7(1) देखिए)

विनिर्माता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली मासिक विवरणी
2003............ के मास.................. की विवरणी

1. विनिर्माण एकक का नाम

2. पता

3. विनिर्माण एकक के स्वामी का नाम

4. टीएमसीओ के आधीन चाय बोर्ड का पंजीकरण सं.

5. बागा जिला

6. राज्य

7. केन्द्रीय उत्पाद शुक्ल जोन

8. केन्द्री उत्पाद शुक्ल जोन

9. टी.डब्ल्यू सी ओ के आधीन चाय अपशिष्ट लाइसेंस सं.

10. उत्पादक संघ का नाम जिसका सदस्य है और सदस्यता सं. यदि कोई है

11. क्या परिसंपदा अथवा बोट लीफ (को-पोरेटिव सहित) फैक्टरी है।

12. फैक्टरी के परिसर में खुली तथा उपभोक्ता पैकों में रखी तैयार चाय का आदि स्टाक (कि.ग्रा.में)

चाय के प्रकार	सी.टी.सी	परम्परागत	हरी	कार्बनिक	कुल
खुली					
पैकैट					

13. मास के दौरान हरी चाय के विवरण (आंकड़े कि.ग्र. में)

अपने बाग से प्राप्त की गयी मात्रा	बाहर से खरीदी कयी मात्रा	खरीदी गई कुल मात्रा	चाय का विनिर्माण करने के लिए प्रयुक्त की गयी मात्रा

14. मास के लिए प्रदत्त प्रति कि.ग्रा. औसत चाय की कीमत

15. माह के दौरान विनिर्मित चाय की मात्रा (हजार कि.ग्राम में) (हरी चाय में से) जिसमें अपने बाग की चाय की पत्तियां तथा खरीदी गयी पत्तियां शामि है।

.... माह के दौरान				जनवरी से ....)			
सी.टी.सी.	परम्परागत	हरी	कुल	सी.टी.सी.	परम्परागत	हरी	कुल

16. माह के दौरान उपभोक्ता पैकों में विनिर्मित चाय की मात्रा

.... माह के दौरान				(जनवरी से ....)			
सी.टी.सी.	परम्परागत	हरी	कुल	सी.टी.सी.	परम्परागत	हरी	कुल

17. चाय अपशिष्ट के विवरण (आंकडे कि.ग्रा. में)

आदि शेष	माह के दौरान सृजित मात्रा	माह के दौरान निपटाई गयी मात्रा	इति शेष

18. प्रदत्त उत्पदा शुल्क : प्रति कि.ग्रा. दर प्रदत्त कुल राशि

19. चाय अधिनियम, 1953 के तहत प्रदत्त उपकर : प्रति.कि.ग्रा.र प्रदत्त कुल राशि

20. अनैसर्गिक चा अपशिष्ट की बिक्री (आंकड़ें कि.ग्राम.)

बेची गयी मात्रा	तारीख	चाय बोर्ड प्राधिकारी पत्र संख्या और तारीख	क्रेताओं के नाम तथा उनका चाय अपशिष्ट लाइसेंस नं.

21. चाय अपशिष्ट का विगुणन करना (आंकर्डे कि.ग्राम में)

अविकृत की गई मात्रा	तारीख	चाय बोर्ड प्राधिकारी पत्र संख्या और तारीख	वे नाम तथा पदनाम जिनके समक्ष सम्पन्न करना है।

22. अनैसर्गिक चाय अपशिष्ट की बिक्री (कि.ग्रा. में)

बची गयी मात्रा	तारीख	क्रताओं के नाम

23. कम्पोस्ट के रुप में चाय अपशिष्ट का परिवर्तन

मात्रा	तारीख	चाय बोर्ड प्राधिकरण पत्र संख्या और तारीख	अधिकारी का नाम तथा पदनाम जिकसे समक्ष सम्पन्न करना है।

24. चाय अपशिष्ट को नष्ट करना

मात्रा	तारीख	चाय बोर्ड प्राधिकरण पत्र संख्या और तारीख	अधिकारी का नाम तथा पदनाम जिकसे समक्ष सम्पन्न करना है।

25. माह के दौरान बिक्री

क) नीलामी के दौरान

नाम			बेची गयी मात्रा (कि.ग्रा.)		
केन्द्र का नाम	सी.टी.सी.	परम्परागत	हरी चाय	अन्य उल्लेख करें	कुल
कोलकत्ता					
गुवाहटी					
सिलीगुड़ी					
अमृतसर					
कोचीन					
कूनूर					
कोयमबटूर					
अन्य उल्लेख करें					
जोड़					

नीलामी-						उगाही गयी मात्रा (रु. कि.ग्रा.)	
केन्द्र का नाम	सी.एल.	सी.डी.	परम्परागत	परम्परागत पत्ती	हरी चाय चूरा	अन्य	विशेष
कोलकत्ता							
गुवाहटी							
सिलीगुडी							
अमृतसर							
कोचीन							
कून्नूर							
कोयमबटूर							
अन्य उल्लेख करें							
जोड़							

(ख) प्रत्यक्ष निर्यात

चाय के प्रकार	.... मास के दौरान	
खुली चाय	मात्रा (कि.ग्रा. में)	वसूल की गयी कीमत (रु.प्रति कि.ग्रा.)
पैकेट वाली चाय		
चाय बैग		

(ग) गैर-सरकारी बिक्री

चाय के प्रकार	.... मास के दौरान	
खुली चाय	मात्रा (कि.ग्रा. में)	वसूल की गयी कीमत (रु.प्रति कि.ग्रा.)
पैकेट वाली चाय		
चाय बैग		

(घ) उपभोक्ता पैकों में प्रत्यक्ष विपणन

चाय के प्रकार	.... मास के दौरान	
	मात्रा (कि.ग्रा. में)	वसूल की गयी कीमत (रु.प्रति कि.ग्रा.)
खुली चाय		
पैकेट वाली चाय		
चाय बैग		

बेची गयी मात्रा का कुल जोड (क+ ख+ ग) =

(ङ) कर्मचारियों को उपहार (कि.ग्रा. में)

26. माह के अंत में अंतिम/अनबिका स्टॉक

चाय के प्रकार	सी.टी.सी.	परम्परागत	हरी	अन्य (विशेष	कुल
खुली चाय					
पैकेट वाली चाय					
टी बैग					

घोषणा :

मैं/हम प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त विवरणी में दी गयी जानकारी जिसके अंतर्गत आंकडे भी हैं सही है और उसका सत्यापन अभिलेखों से किया जा सकता है।

स्थानः.............. हस्ताक्षर

तारीखः .... प्राधिकृत प्रतिनिधि

**निर्देशाधीन मास के दौरान कारखाना द्वार पर जिन व्यक्तियों को चाय का विक्रय किया गया है उनके नाम और पते तथा विक्रय की गयी मात्रा और प्रत्येक व्यक्ति की बावत ली गयी औसत कीमत को दार्शाने वाली एक सूची संलग्न की जाएगी।

प्ररुप–च

(पैराग्राफ 7(2) देखें)

क्रेता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली मासिक विवरणी

माह...................... हेतु विवरणी

1. फर्म का नाम

2. दूरभाष/फैक्स नं./
ई–मेल सहित पंजीकृत
कार्यालय का पता

3. शाखा कार्यालयों के पत्ते

4. क्या नीलामी समितियों के
सदस्य हैं और यदि हां, तो
केन्द्रों का नाम

4. टी.एम.सी.ओ. के तहत चाय
बोर्ड की पंजीयन संख्या, यदि
कोई हो।

5. महीने के शुरुआत में गोदाम
में खुली तथा उपभोक्ता पैकों
में चाय की आरंभिक स्टॉक
(कि.ग्रा. में)

चाय के प्रकार	(आंकड़े कि.ग्राम में)					
	सी.टी.सी.	पराम्परागत	दार्जिलिंग	हरा	अन्य	कुल
खुली चाय						
पैकेट						
टी बैग						

6. निर्देशाधीन मास के दौरान खरीदी गयी चाय की मात्रा (कि.ग्रा. में)तथा औसत कीमत (रु/कि.ग्रा.)

चाय के प्रकार	सी.टी.सी.		परम्परागत		दार्जिलिंग		हरा		अन्य		कुल	
	मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत
खुली चाय												
पैकेट												
टी बैग												

7. मास के दौरान चाय पैकेट तथा चाय थैलियों में रुपांतरित चाय की मात्रा (कि.ग्रा.)

चाय के प्रकार	............माह के दौरान			
	सी.टी.सी.	परम्परागत	हरा	कुल
पैकेट				
टी बैग				

8. मास के दौरान चाय का विपणन

(क) घरेलू बिक्री

चाय के प्रकार	.............मास के दौरान	
	मात्रा (कि.ग्रा.)	प्राप्त कीमत(प्रति कि.ग्रा. में)
खुली चाय		
पैकेट चाय		
टी बैक		

(ख) निर्यात

चाय के प्रकार		माह............... के दौरान	
	मात्रा (कि.ग्रा.)	मूल्य (रु.में)	ईकाई कीमत (रु./कि.ग्रा.)
खुली चाय			
पैकेट चाय			
टी बैग			

9. मास के शेष में अंतिम/अनबिका स्टॉक (कि.ग्रा. में)

चाय के प्रकार	सी.टी.सी	परम्परागत	हरी चाय	कुल
खुली चाय				
पैकेट				
टी बैग				

घोषणा :

मैं/हम प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त विवरणी में दी गयी जानकारी जिसके अंतर्गत आंकडे भी हैं सही है और उसका सत्यापन अभिलेखों से किया जा सकता है।

स्थानः..............

तारीखः ....

हस्ताक्षर

प्राधिकृत प्रतिनिधि

*प्रत्येक सम्पदा/कारखाना के संबंध में खरीदी गयी मात्रा तथा औसत कीमत प्राप्तियों समेत निर्देशाधीन मास के दौरान नीमलामियों से बाह्य चाय सम्पदाएं/ हरी पत्ती कारखाना जिनसे चाय खरीदी गयी थी के नाम तथा पते दर्शाने वाली सूची संलग्न की जायेगी ।

प्ररुप-छ

(पैरा 11 देखिये)

चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश 2003 केपैरा 11 के अधीन लाइसेंस के लिए आवेदन

.... मूल/दूसरी प्रति

सेवामें,

अनुज्ञापन प्राधिकरी,

चाय बोर्ड,

कोलकत्ता

महोदय,

मैं/हम* नीलामियों में दलाल/चाय निलामियों के आयोजक के रुप में कारोबार करने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं।

मैं/हम* निम्नलिखित आवश्यक विशिष्टियां प्रस्तुत करता हूं/करते हैं:-

1. आवेदक का नाम
   (स्पष्ट अक्षरों में
   (भागीदारी समुत्थान की दशा में सभी
   भागीदारों के नाम दिए जाने चाहिए)
2. पूरा पता (जिस पर पत्र व्यवहार
   किया जा सकता हे।
3. अपेक्षित लाइसेंस की प्रकृति - चाय
   निलामियों में दलाल/निलामियों के
   आयोजक के रुप में लाइसेंस
4. उस परिसर का पूरा नाम जिस
   पर आवेदक कारोबार करना
   चाहता है।
5. संदत्त फीस की रकम

मैंने/हमने* चाय(विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 को सावधीन पूर्वक पढ़ लिया है और समझ लिया है तथा मैं/हम उक्त आदेश के उपबंधों का पालन करने के लिए सहमत हूं/हैं।

भवदीय

(आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर)

स्थानः

तारीखः

* जो लागू न हो उन्हें काट दीजिए।

टिप्पण – 1:– इस आवदेन पर, कम्पनी की दशा में कम्पनी के सचिव या किसी प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा और भागीदारी समुत्थान की दशा में भागीदारों में से किसी एक द्वारा, हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और व्यष्टियों की दशा में, हस्ताक्षर के पश्चात "एकमात्र स्वामी" शब्द जोड़ दिया जाना चाहिए।

टिप्पण–2: आवेदन लाइसेंसिंग प्राधिकारी के दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा।

प्ररुप 'ज'

पैरा 12 (2) (देखिये)

चाय निलामियों में दलाल / चाय निलामियों के आयोजक के रुप में कारोबार करने के लिए लाइसेंस

अहस्तातरणीय

चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के पैरा 12 (2) के अधीन जारी किया गया।

14 विपलवी तैलोक्य, महाराज सारणी
कोलकत्ता-700 001
तारीख.........................
लाइसेंस सं..................

श्री/सर्वश्री* .... निवासी.......... ....को चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के उपबंधों के अधीन के अनुसार चाय के सार्वजनिक निलामियों में दलाल/चाय निलामियों के आयोजक के रुप में कारोबार करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

यह लाइसेंस 31 दिसम्बर.........तक विधि मान्य है यदि उसे चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के पैरा 19 के अधीन उक्त तारीख के पूर्व निलंबित नहीं कर दिया जाता।

अध्यक्ष
चाय बोर्ड
लाइसेंसिग प्राधिकारी

*जो लागू नहीं है उसको काट दीजिए।

प्ररुप-4 क

(पैरा 15(1) देखिये)

चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश 2003 के पैरा 15(1) के अधीन लाइसेंस के लिए आवेदन

.... मूल/दूसरी प्रति

सेवामें,

लाइसेंसिंग प्राधिकरी,

चाय बोर्ड,

कोलकत्ता

महोदय,

मैं/हम* दलाल, चाय निलामी आयोजक के रुप में अपनी लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं। जो लाइसेंस संख्या.......... के रुप में तारीख .... को आपने जारी की थी।

मैं/हम* निम्नलिखित आवश्यक विशिष्टियां प्रस्तुत करता हूं/करते हैं:-

1. आवेदक का नाम
   (स्पष्ट अक्षरों में)
   (भागीदारी समुत्थान की दशा में सभी
   भागीदारों के नाम दिए जाने चाहिए)
2. पूरा पता (जिस पर पत्र व्यवहार
   किया जा सकता हे।
3. अपेक्षित अनुज्ञप्ति की प्रकृति
   दलाल/निलामी आयोजक
4. उन विभिन्न परिसर के यादि कोई हैं,
   पूरे पत्ते जिनमें आवेदक कारोबार करना
   चाहता है।
5. संदत्त फीस की रकम

मैंने/हमने* चाय(विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है और समझ लिया है तथा मैं/हम उक्त आदेश के उपबंधों का पालन करने के लिए सहमत हूं/हैं।

भवदीय

(आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर)

स्थानः

तारीखः

* जो लागू न हो उन्हें काट दीजिए।

टिप्पण – 1:– अनुज्ञापन प्राधिकारी को दो प्रतियों में भेजा जाए।

टिपण– 2: इस आवदेन पर, कम्पनी की दशा में कम्पनी के सचिव या किसी प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा और भागीदारी समुत्थान की दशा में भागीदारों में से किसी एक द्वारा, हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और व्यष्टियों की दशा में, हस्ताक्षर के पश्चात "एकमात्र स्वामी" शब्द जोड़ दिया जाना चाहिए।